रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2013/फाल्गुन 21, 1934
No.133] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934

IndiaCode

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2013

सा.का.नि. 167(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (तीसरा संशोधन) नियम, 2000 का और संशोधन करने लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2000 के नियम 3 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "छब्बीस हजार रुपए (नियत) प्रतिमास" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "अस्सी हजार रुपए (नियत) प्रतिमास" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) में, "22,400-525-24,500 रुपए के वेतनमान" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "67,000 रु.-(तीन प्रतिशत की दर पर वार्षिक वेतनवृद्धि)-79,000 रु. के वेतनमान" शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 45011/48/2008-बी.ए.(पी.)]
आर. के सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 863(अ), तारीख 10 नवंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2006, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 20 जून, 2012 और सा.का.नि. 884(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2012 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2013

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by Section 32 read with Sub-sections (7) and (8) of Section 6 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairman, Whole-time Members and Part-time Members Rules, 2000, in rule (3),—

(a) In sub-rule (1), for the words and brackets "rupees twenty-six thousand per month (fixed)", the words and brackets "rupees eighty thousand per month (fixed)" shall be substituted.

(b) In sub-rule (2), for the words, letters and figures "in the scale of Rs. 22,400-525-24,500", the words, letters, figures and brackets "in the scale of Rs. 67,000—(annual increment at the rate of three per cent)—79,000" shall be substituted.

[F. No. 45011/48/2008-BA(P)]

R. K. SINGH, Jt. Secy.

Note :—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 863(E), dated the 10th November, 2000 and was subsequently amended by number G.S.R. 126(E), dated 1st March, 2006, number G.S.R. 464(E), dated the 20th June, 2012 and number G.S.R. 884(E), dated the 7th December, 2012.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.